राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

क्रमांक प0 6(7)राज–4/77/2 जयपुर, दिनांक 11.1.2008

समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
समस्त जिला कलेक्टर,राज0।

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या क0 6(7)राज–4/77/15 दि0 16.10.2001 के क्रम में सिवायचक भूमियों पर दि0 15.7.94 तक कृषि हेतु किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश जारी किये गये थे। अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियमन की तिथि दि0 15.7.94 को बढ़ाकर दि0 1.1.2000 कर दिया जायें।

1. राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 20 में अतिक्रमणों को नियमन करने का प्रावधान है। उपखण्ड अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के विशिष्ट या सामान्य अनुदेशों के अधीन अतिक्रमी को बेदखल करने के बजाय उसे नियमित कर दे बशर्ते कि वह भूमिहीन है तथा उसके पास समस्त भूमि जिसमें अतिक्रमित भूमि भी सम्मिलित है, नियमों में दी गई सीमा से अधिक नहीं हों। भूमिहीन व्यक्तियों द्वारा राजकीय कृषि भूमि पर किये गये अतिक्रमणों के मामलों को निम्न शर्तो पर नियमित किया जायें:–
   (i) नियमन के समय प्रीमियम या शास्ति नहीं ली जाय किन्तु जिस अवधि में भूमि पर अवैध कब्जा रहा हो उस अवधि का भू राजस्व वसूल किया जायेगा।
   (ii) व्यक्ति के पास कुल भूमि जिसमे नियमित की जाने वाली भूमि भी सम्मिलित है, 4 हैक्टेयर असिंचित भूमि से अधिक न हों।
   (iii) अतिक्रमित भूमि राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 में उल्लेखित आवंटन के लिये प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में नही आती हों।

2. निम्न भूमियों का नियमन नहीं किया जायेगा:–
   (i) राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियां।
   (ii) चारागाह, औरण, जोहड़, पायतन, नदी, तालाब के पेटे श्मशान, कब्रिस्तान व मन्दिरों की भूमियां।
   (iii) डी.बी. सिविल रिट पिटिशन नं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम् स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य निर्णय दिनांक 2.8.2004 में वर्णित भूमियां,
   (iv) वन विभाग के नाम दर्ज भूमियां,
   (v) किसी उद्देश्य हेतु अवाप्तिशुदा भूमियां, राजकीय उपक्रम या राजकीय विभाग की भूमियां,
   (vi) वायुयानों के उतराई स्थल के रूप में सीमाकिंत भूमियां,
   (vii) राज0 वन अधिनियम 1953 (अधिनियम सं0 53 सन् 1953) की धारा 8 के अधीन संघटित ग्राम्य वनों के लिये आरक्षित भूमियां,